



2026:AHC:12670

9

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता संख्या - 4700 वर्ष 2026

अभिषेक मिश्रा

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सैयद अली इमाम

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 191(2), 191(3), 333, 115(2), 352, 351(2) 76, 3(5) भारतीय न्याय संहिता, धारा 3(2) (वीए), 3(1) (डी), 3(1) (ई) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 और 7/8 पॉक्सो अधिनियम, 2012 मुकदमा अपराध संख्या 77 वर्ष 2025 पुलिस स्टेशन फेज-1, जिला गौतम बुद्ध नगर के विचारण के लंबित रहने के दौरान दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का नाम प्रथम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सूचना रिपोर्ट में नहीं था। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, इसलिए, घटना स्वयं संदिग्ध हो जाती है। इस स्तर पर आवेदक की सटीक भूमिका के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-अभियुक्तों को पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 09.09.2025 के आदेश के माध्यम से आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता संख्या 7000 वर्ष 2025 (रोहित सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य) में अग्रिम जमानत दिया जा चुका है। यदि आवेदक को भी समानता पर जमानत पर छोड़ा जाता है तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा। आवेदक को किसी भी समय पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी की आशंका है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत का विरोध किया, लेकिन इस बात पर विवाद नहीं कर सका है कि आवेदक के समान रूप से रखे गए सह-आरोपी ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत दिया जा चुका है।

सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली का एनसीटी) और अन्य, (2020) 5

एससीसी 1 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर विधि को अंतिम रूप से यह धारित किया है कि अग्रिम जमानत हमेशा सीमित अवधि की नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त मामले में, यह विचारण के निष्कर्ष तक जारी रह सकता है।

इसमें आगे यह धारित किया गया है कि अभियुक्त के आचरण और व्यवहार के आधार पर दी गई अग्रिम जमानत विचारण के अंत तक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जारी रह सकती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे यह धारित की है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा अन्वेषण के कार्यवाही को प्रभावित करने की संभावना, या साक्षियों को डराने सहित साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़, न्याय से भागने की संभावना, जैसे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि देश छोड़ने पर विचार करना होगा। यह भी धारित किया गया है कि न्यायालयों को आम तौर पर अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को जिम्मेदार ठहराया गया भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित किया जाना चाहिए, जबकि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अग्रिम जमानत दी जाए या इसे अस्वीकार किया जाए। अनुमति देना है या नहीं देना यह विवेक का मामला है।

अग्रिम जमानत, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं लिया गया था, और आवेदक के सह-आरोपी ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत दे दी है। मेरे विचार में, यह विचारण तक आवेदक को अग्रिम जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है।

तदनुसार आवेदन की स्वीकृति दी जाती है।

आवेदक-अभिषेक मिश्रा, की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो प्रतिभू के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र को प्रस्तुत करने पर विचारण के अंत तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- (i) आवेदक मामले में निर्धारित तिथि पर संबंधित न्यायालय के समक्ष स्वयं को उपलब्ध कराएगा और विचारण में सहयोग करेगा।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस कार्यालय में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।
- (iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे उसके द्वारा संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. के समक्ष जमा करना होगा।

किसी भी शर्त के विफल होने की स्थिति में, आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार हो सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

आदेश दिनांक: जून 10, 2026

बृजेश

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।